

प्राप्त 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक - 148283/
57958

काशीबाग जिला शिक्षा अधिकारी (इंटरमीडियट), मधुबनरदम

स्कूल SHRI GUJARATI SAMAJ
AJMERA MUKESH NEMICHANDBHAI
ENGLISH MEDIUM SCHOOL

मान्यता का प्रकार - स्वीकृत/मान्यता / नवीन मान्यता

Signature valid 2022

Digitally signed by
Date: 2022.05.22 11:33:39 +05:30
Reason: Issued by deo mde 9

तार - 2022-23

परि,

विषय

पत्राचार (SHRI GUJARATI SAMAJ AJMERA MUKESH NEMICHANDBHAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL)

नि.शुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि.शुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) में अधीन स्कूल मान्यता प्रदान कर।

संदर्भ / संशोधन,

आपके आवेदन पर दिनांक 24/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राप्त/प्राप्त/परिष्कार / निरक्षण के संदर्भ में, मैं आपको स्कूल - SHRI GUJARATI SAMAJ AJMERA MUKESH NEMICHANDBHAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL इंडिया कोड - 23260104019 स्कूल क्रमांक - PS 57958 को कक्षा चौ. पाठ्यक्रम-नवमी में आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त शर्तों/शर्तों के अधीन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी -

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 में आने की मान्यता/संबद्धता की कोई बाधा/कमी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल नि.शुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि.शुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने प्रवेशों की तालिका के विहित समूह तथा कक्षाएं वगैरे के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि तलाक़ा प्राप्त स्कूल है तो इनमें प्रवेशित बालकों को उन अनुपात में नि.शुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा देना जिन रूप में उसके वार्षिक आवृत्तियों का पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्तियों/सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम प्रवेशों प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल दो स्कूल (बी स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के (ख) (क) से (ग) के उपबंधों-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की पंजीयति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- तोलाइटी/स्कूल कोर्ड भी कंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छात्रवृत्ति प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
 - (क) आयु के सन्दर्भ में ;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के परीक्षाएं ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्क्रिय नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी ;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि.शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा।
 - अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि अली कि जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्धारित बर्तव्यों का पालन करना होगा।
 - पाठ्यपुस्तक/टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेते/लेगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुसार स्कूल में बच्चों का मानांकन किया जाएगा।

स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल की मान्यता एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल	डाइस कोड	शैक्षणिक जिला क सत्र	क्षेत्र का प्रकार	स्कूल का विवरण		पिन कोड	पुलिस थाना	रेखांश	अक्षांश
				विकास खण्ड(ब्लॉक)	ग्राम / वार्ड				
SHRI GUJARATI SAMAJ AJMERA MUKESH NEMICHA NDBHAI ENGLISH MEDIUM SCHOOL	232601 04019	17 इन्दौर	शहरी	Indore Urban 2	ward 31	452010	थाना तामुटिया	22.75 5053	75.898 5286

स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि 06/07/1992

क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? हाँ

सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम Shri Gujarati Samaj , Indore

सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक 23/28/07/1945

स्वामी का नाम

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम KIRTI BHAI PATEL

पदनाम Chairmen

मोबाइल 9425437939

ई-मेल sgsamn@gmail.com

कार्यालय का पता 267 ShriKrishna Avenu Phase 1 Limobdi

कार्यालय का दूरभाष 9425437939

स्कूल की प्रकृति

शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार नवविध्या

क्या स्कूल आवासीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? हाँ

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा पी ग्रेडमरी-नर्सरी

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं

क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ

प्राधिकारी का नाम CBSC

मान्यता क्रमांक 1030082

डाइस कोड(DISE)